संख्या: डब्ल्यू-11042/16/2010-जल-।।

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वचछता मंत्रालय

****

12वाँ तल पर्यावरण भवन,

सीजीओ काँम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23-09-2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव प्रभारी ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल पायलट परियोजनाओं (एनआरडीडब्ल्यूएसपीपी) के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए 30-07-2014 को आयोजित वीडियो-काँफ्रेंस के आधार पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

संदर्भ: 1. संयुक्त सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 30-07-2014 को आयोजित वीडियो काँफ्रेंस की बैठक का कार्यवृत।
2. पायलट ब्लॉकों (जिलों) के जिला कलेक्टरों/ जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि संयुक्त सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 30-07-2014 को आयोजित वीडियो-काँफ्रेंस में विभिन्न राज्यों में पायलट के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इस वीडियो- काँफ्रेंस के कार्यवृत सभी राज्यों को भेजे गए थे और आपके संदर्भ के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

वीडियो काँफ्रेंस में संयुक्त सचिव (जल) ने संबंधित राज्यों को कार्यवाही के लिए विभिन्न मदों पर जोर दिया था और तदनुसार इस मंत्रालय को सूचित करने के लिए कहा था। इसके अलावा वीडियो काँफ्रेंस में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को तत्काल कार्यवाही के लिए उठाया गया था:

1. **<u>सहायता संगठन (एसओ) का कॉंट्रैक्ट बढ़ाना/ पुन: निविदा आमंत्रित करना</u>**

वीडियो कांफ्रेंस में यह निर्देश दिए गए थे कि उन राज्यों में जहाँ सहायता संगठनों के कॉंट्रैक्ट खत्म हो गए हैं अथवा होने वाले हैं, वहाँ सहायता संगठनों के कार्यों का शीघ्र मूल्यांकन किया जाए, और उसके आधार पर, मौजूदा सहायता संगठनों के कॉंट्रैक्ट का नवीनीकरण अथवा नए सहायता संगठन को सूचीबद्ध करना दिनांक 30-07-2014 से एक महीने के समय में पूरा किया जाए।

यह देखा गया है कि **महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक** राज्यों ने सहायता संगठनों के कॉंट्रैक्टों के बारे में की गई कार्यवाही की पुष्टि इस मंत्रालय को नहीं की है। वीडियो कॉंफ्रेंस में **तमिलनाडु** के अधिकारियों ने यह बताया था कि वे सहायता संगठनों के कॉंट्रैक्टों को बढ़ाएँगे और इसकी सूचना इस मंत्रालय को यथा-शीघ्र देंगें। लेकिन, इस संबंध में अभी तक कोई शासकीय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र में जीएसडीए द्वारा इस मंत्रालय को विभिन्न मुद्दों जिन्हें **दिनांक 5-08-2014 के पत्र संख्या डब्ल्यू-11042/16/2014-जल-।।** द्वारा अलग से सूचित किया गया था, के बारे में जवाब देना है।

यदि जीएसडीए अमरावती जिले में इस परियोजना को जारी रखने में इच्छुक नहीं है तो राज्य द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाए।

2. **<u>सहायता संगठनों को पूरे किए गए कार्यों के लिए भुगतान</u>**

वीडियो कॉंफ्रेंस में इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि सहायता संगठनों को उनके कॉंट्रैक्ट की अवधि के दौरान पायलट परियोजनाओं में उनके द्वारा पूरे किए गए कार्य के अनुसार भुगतान किया जाए। लेकिन, इस मंत्रालय को यह मामला बार-बार रिपोर्ट किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय को **राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना** राज्यों में पायलट ब्लॉकों से उक्त मुद्दों पर कोई सूचना (लिखित में) प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य भी सहायता संगठनों को भुगतान करने और कॉंट्रैक्ट बढ़ाने/ पुन: निविदा आमंत्रित करने की समस्त प्रक्रिया में उनके द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को इस मंत्रालय के साथ शेयर करें।

3. **<u>जिला कोर समूह की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना</u>**

   वीडियों कॉंफ्रेंस में इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि जिला कोर समूह (डीसीजी) की बैठकों का आयोजन पायलट ब्लॉकों (जिलों) में नियमित रूप से किया जाए और उनकी कार्यवाही को इस मंत्रालय के साथ शेयर जाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से पायलट परियोजनाओं के संबंध में डीसीजी बैठकें आयोजित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र भी भेजा गया था। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (मोरनीपुर ब्लॉक-झाँसी जिला) को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों को इस मंत्रालय के साथ कार्यवाही को शेयर किया जाए।

4. **<u>ग्राम जल सुरक्षा योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ब्लॉकों के लिए सभी वीडब्ल्यूएसपी तैयार करना</u>**

   प्रत्येक पायलट ब्लॉक को पिछले एक वर्ष से यह निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मंत्रालय को जाँच हेतू कम से कम एक नमूना ग्राम (जीपी) जल सुरक्षा योजना (वीडब्ल्यूएसपी मॉडल के अनुसार) प्रस्तुत की जाए। मंत्रालय द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने के बाद उसी लाइन पर समग्र ब्लॉक के लिए वीडब्ल्यूएसपी को पूरा किया जाए और उसे दिसंबर, 2014 तक एसएलएसएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

   तथापि, इस मंत्रालय को अभी तक **(मोरनीपुर एवं बरौली अहीर ब्लॉकों) उत्तर प्रदेश, (वरूद एवं मोरशी ब्लॉकों) महाराष्ट्र; और (पिपलोदा ब्लॉक) मध्य प्रदेश** से कोई वीडब्ल्यूएसपी प्राप्त **नहीं** हुई है।

   तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, पिलेर ब्लॉक (आंध्र प्रदेश), मूठे ब्लॉक (तेलंगान), कनार्टक से वीडब्ल्यूएसपी को इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यह अनुरोध है कि सभी वीडब्ल्यूएसपी तैयार की जाएँ और उन पर दिसंबर, 2014 तक अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

   संयुक्त सचिव (जल) द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था और पुन: दोहराया गया था कि यदि राज्य इच्छुक नहीं है और वे पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत की गई आशा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो राज्य परियोजनाओं को समाप्त कर सकते हैं तथा

तदनुसार, राज्यों द्वारा मंत्रालय से अनुमोदनों आदि को निरस्त करने का अनुरोध किया जाए।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप उर्पयुक्त उल्लिखित मदों पर कार्यवाही करें और पायलट परियोजनाओं की प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा करें। इस मंत्रालय द्वारा अगली समीक्षा कार्यशाला अक्टूबर, 2014 माह में की जाएगी।

भवदीय,

(डा.दिनेश चंद)
अपर सलाहकार (पीएचई)

प्रतिलिपि:

1. राज्य मॉडल अधिकारी (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश)
2. इंजीनियर-इन-चीफ (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश)

संलग्नक:

1. दिनांक 30-07-2014 को आयोजित वीडियो कॉंफ्रेंस का कार्यवृत (वेबसाइट पर डाला गया है)
2. जिला कलेक्टरों/ जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र (वेब्साइट पर डाला गया है)